"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 अगस्त 2012—श्रावण 25, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, पं. रविशंकर शुक्ल पुरस्कार नियम, 2004, में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

1. नियम 3 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :—

   "राज्योत्सव के अवसर पर विभागीय पुरस्कार नियमों में उक्त प्रावधान अनुसार पुरस्कृत करने के साथ-साथ संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रमाणपत्र भी प्रदाय किया जाए."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, यतियतन लाल पुरस्कार नियम, 2004 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

1. नियम 3 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :—

"राज्योत्सव के अवसर पर विभागीय पुरस्कार नियमों में उक्त प्रावधान अनुसार पुरस्कृत करने के साथ-साथ संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रमाणपत्र भी प्रदाय किया जाए."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, महाराजा अग्रसेन सम्मान नियम, 2004 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

1. नियम 3 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए :—

"राज्योत्सव के अवसर पर विभागीय पुरस्कार नियमों में उक्त प्रावधान अनुसार पुरस्कृत करने के साथ-साथ संबंधित पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति/संस्था को प्रमाणपत्र भी प्रदाय किया जाए."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.